(38)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल।

निगरानी -651-पीबीआर/10

दाखिल दिनांक 28-1-11

रिव्यू - 329 - PBR/2011

1• श्री लालजीराम आत्मज श्री हरिसिंह कुर्मी

2• श्रीमति सावित्रीबाई पत्नि श्री काशीराम पुत्री हरीसिंह कुर्मी

3• श्रीमति आशाबाई पत्नि श्री बटानीलाल आत्मज काशीराम

4• ज्योतिबाई पुत्री श्री बटानीलाल आ0 श्री काशीराम

5• कुमारी दीप्ति पटेल पुत्री श्री बटानीलाल आ0श्री काशीराम

6• श्री अनुराग पटेल आ0 श्री बटानीलाल आ0 श्री काशीराम

7• श्री राकेशकुमार आत्मज श्री काशीराम

8• श्री देवेन्द्रकुमार आत्मज श्री काशीराम

9• श्री मौजीलाल आत्मज श्री मथुराप्रसाद

10•श्रीमति सुखवतीबाई पत्नि श्री मथुराप्रसाद

11• विमलाबाई पुत्री श्री मथुराप्रसाद

12• कमलाबाई पुत्री श्री मथुराप्रसाद सभी निवासी ग्राम

पंवारखेडा तहसील व जिला होशंगाबाद ------ अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1• श्री रामशंकर आत्मज श्री गोकलप्रसाद

2• श्री रविशंकर आत्मज श्री गोकलप्रसाद

3• श्री राजेन्द्रकुमार आत्मज श्री गोकलप्रसाद

4• श्रीमति सावित्रीबाई पत्नि श्री गोकलप्रसाद

5• श्रीमति अंजनाबाई पुत्री श्री गोकलप्रसाद कुर्मी

सभी निवासी ग्राम पंवारखेडा तहसील व जिला

होशंगाबाद --------- उत्तरवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू राजस्व

संहिता 1959•

XXXIX(a)BR(H)-11

37

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 329–पीबीआर/11 जिला – होशंगाबाद

| स्थान तथा दिनांक | कर्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26.8.14 | आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा प्रकरण क्रमांक 851–पीबीआर/11 में पारित आदेश दिनांक 28–1–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरावलोकन आवेदन में उठाये गये तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–<br>1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी.<br>2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.<br>3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br>प्रशा0 सदस्य | |